3

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक : 2/शमन–11/2015 परि 3801 / पटना, दिनांक 03/08/2015

जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–2305, दिनांक 22.06.2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दरभंगा जिलान्तर्गत निम्नलिखित थानाध्यक्षों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179, 180, 181, 182,, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्रम संख्या	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1	थानाध्यक्ष	नगर थाना क्षेत्र, दरभंगा
2	थानाध्यक्ष	सदर थाना क्षेत्र, दरभंगा
3	थानाध्यक्ष	लहेरियासराय थाना क्षेत्र
4	थानाध्यक्ष	विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र
5	थानाध्यक्ष	बेंता थाना क्षेत्र
6	थानाध्यक्ष	मब्बी थाना क्षेत्र

2. पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही उपर्युक्त पदाधिकारीयों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी । मामलों के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से ।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2/शमन–11/2015 परि0 3801 / पटना, दिनांक 03/08/2015

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 2/शमन–11/2015 परि0 3801 / पटना, दिनांक 03/08/2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/शक्ति प्रदत् सभी संबंधित पदाधिकारी/विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

E:\Pooja Sharma\Santosh-2015.Docx